न्यायालय कलेक्टर (शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र)

प्रकरण क्रमांक 39 / बी-121 / 2014-15

: आदेश ::

(आज दिनांक 06 / 06 / 2015 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर के माध्यम से तहसीलदार अलीराजपुर का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनाक 02.05.2015 को घटनास्थल ग्राम रामसिंह की चौकी मे उण्डवा फाटक तहसील अलीराजपुर मे सडक दुर्घटना (ट्रेक्टर ट्राली पलटने से) होने से सागरी पति कैलाश निवासी बिलवट तहसील अलीराजपुर की गंभीर रुप से घायल होने पर आर्थिक अनुदान राशि रूपये 7,500/- (सात हजार पॉच सौ रूपये) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार अलीराजपुर के अभिमत से सहमत होकर थाना रिर्पोट एवं एम.एल.सी के आधार पर घायल सागरी पति कैलाश निवासी बिलवट तहसील अलीराजपुर को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमाक/ एफ-20-21/2012/1/4 भोपाल, दिनाक 16/07/2014 में निहित प्रावधान अनुसार गंभीर रूप से घायल होने पर आर्थिक अनुदान सहायता राशि रूपये 7500/-(सात हजार पॉच रूपये) स्वीकृत किये जाते है।

उक्त व्यय मांग संख्या 02-लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम -800-अन्य व्यय-- (1982) दुर्घटना मे मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता -42 सहायता अनुदान -007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावें।

(शेखर वर्मा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

पृ0क/ 492/रीडर/2015 अलीराजपुर दिनांक 6/6/2015

प्रतिलिपि:-

1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर
3 प्रभारी अधिकारी (वित्त-2) जिला अलीराजपुर ।
4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर ।
5 तहसीलदार तहसील अलीराजपुर ।
6 संबंधित सागरी पति कैलाश निवासी बिलवट तहसील अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर